

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की ताम्र में जारी हुए
7/14/2023  1-2-24	<p>वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी इत्तवा होकर पत्रावली दिनांक 01/02/24 को पेश हो।</p> <p>आधी. प्राची अनु. अप्राची अनु.। उभयपक्ष को न्यायालय में बहस हेतु एक ओर अवसर इस दिनांक के साथ दिया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी पर बहस हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे अथवा उठावकों पर निर्णय पारित किया जाएगा। पत्रावली का बहस दिनांक 19-3-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Luks</i> <b>अति. जिला कलक्टर, पाली</b></p>	
19/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची सद्य. उप.। अप्राची अनु.। पत्रावली का बहस हेतु दिनांक 21/4/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Luks</i> <b>अति. जिला कलक्टर, पाली</b></p>	
4/4/24	<p>श्रीमान पी ओ साहब चुनाव कार्या में व्यवस्त होने से पत्रावली दिनांक 22/4/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Tamr</i></p>	
22/4/24	<p>श्रीमान पी ओ साहब चुनाव कार्या में व्यवस्त होने से पत्रावली दिनांक 29/4/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Tamr</i></p>	
29/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राचीया / आधीवक्ता प्राचीया अनु.। अप्राची अनु.।</p> <p>आधीवक्ता प्राचीया को बहस हेतु पूर्व में समस्त अवसर दिये जा चुके हैं। वक्ता बहस प्राचीया / आधीवक्ता प्राचीया को बार-बार आवाजे लगाई गईं लेकिन वे उपस्थित नहीं हुईं। ऐसी स्थिति में उक्त निगरानी आधीवक्ता प्राचीया की गैर हजरती में सी.पी.सी. के आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम पेशी - अदम हजरती में खारेज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैंसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Luks</i> <b>अति. जिला कलक्टर, पाली</b></p>	